

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :-सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न०:- 274 / 2023

- 1 अजय कुमार पुत्र सुदेश कुमार जाति जाट निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम्

- 1 सुदेश पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
2 अनिता पुत्री सुदेश पत्नी रवि कुमार जाति जाट निवासी तलवार खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरि० ।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।
4. उपपंजीयक महोदय, तलवाड़ा ।

डिक्री

प्रतिवादीगण
दिनांक 30/3/26.....

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री करनैलसिंह व प्रतिवादी वकील सुभाषगर्ग अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चकनं० 644 आर.डी. के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 60/52 में अंकित कुल 7.5900 है० नहरी मय गै०मु० आराजी में प्रतिवादी सं० 1 सुदेश का 41039/227700 हिस्सा यानि 1.367 है० नहरी मय गै०मु० आराजी मे से 0.506 है० भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चकनं० 644 आरडी के खाता सं० 60/52 में से प्रतिवादी सं० 1 सुदेश का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

प्रमाणित प्रतिलिपि
राजस्व
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी